कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिलाः—बिलासपुर छ0ग0

//आदेश//

क्रमांक / 256 /खाद्य/2026 बिलासपुर, दिनांक 28—03—2026

छत्तीसगढ़ शासन, खद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक File No.:GENS-23/2026- FOOD नवा रायपुर, दिनांक 15—03—2026 में पेट्रोलिम पदार्थों की नियमित आपूर्ति हेतु दिशा—निर्देश जारी किये गये है एवं कार्यालय संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक File No.:GENS-2101/2141/2026- FOOD नवा रायपुर, दिनांक 27—03—2026 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति की निगरानी के निर्देश दिये गये है। अतः जिले में सामान्य उपभोक्ताओं को सुगमता से पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति हेतु आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः—

1. जिले में संचालित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प संचालक/प्रोपाईटर द्वारा "महत्वपूर्ण/संवेदनशील बुनयादी ढांचे" के अतिरिक्त किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं किया जावेगा। ("महत्वपूर्ण/संवेदनशील बुनयादी ढांचे" को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/तहसीलदार की अनुमति पश्चात् ही उद्योगों को पम्पों द्वारा डीजल प्रदाय किया जावेगा।)
2. पेट्रोल/डीजल पम्पों में केवल वाहनों में ही ईंधन प्रदाय किया जावगा, अनावश्यक रूप से किसी अन्य पात्र में ईंधन नहीं दिया जावेगा। कृषि उपयोग, जनरेटरों एवं सूक्ष्म उद्योगो हेतु विगत महिनों के खपत के औसत में डीजल प्रदाय किया जावेगा। ऐसे उपभोक्ताओं की जानकारी पम्प में पृथक से संधारित की जावेगी, जिसमें डीजल की मात्रा एवं उपभोक्ता की सामान्य जानकारी दर्ज होगी। उक्त का निरीक्षक नियमित रूप से जॉच दल द्वारा किया जावेगा।

जिले में डीजल एवं पेट्रोल के परिवहन पर विशेष निगरानी रखते हुए पम्प परिसर में लगे सी0सी0टी0वी0 की जॉच जावेगी एवं पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन या कालाबाजारी पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्तानुसार निर्देश के परिपालन हेतु जॉच दल का गठन किया गया है, जो कि आदेश के साथ संलग्न है एवं जॉच दल के अधिकारी अपने क्षेत्र में निगरानी एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

28/03/26
कलेक्टर
जिला—बिलासपुर छ0ग0

पृ0क्रमांक / 256A /खाद्य/2026 बिलासपुर, दिनांक 28—03—2026

प्रतिलिपिः—

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप0 संरक्षण विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, जिला—बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सेल्स ऑफिसर, आई0ओ0सी0एल0/बी0पी0सी0एल/एच0पी0सी0एल0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) (सर्व) जिला—बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
6. सर्व प्रोपाईटर, पेट्रोल पम्प, जिला—बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

28/03/26
कलेक्टर
जिला—बिलासपुर छ0ग0